[2018] 12 एस. सी. आर. 51

एस. नंबी नारायणन

वी.

एस. आई. बी. वाई. गणित और अन्य ई. टी. सी.

(सिविल अपील सं। 6637-6638 2018 का)

सितंबर 14,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे. जे.]

भारत का संविधानः कला. 21 - दुर्भावनापूर्ण जाँच वैज्ञानिक की अंधाधुंध गिरफ्तारी-क्षतिपूर्ति-आरोप वैज्ञानिकों द्वारा इसरो के आधिकारिक रहस्यों और दस्तावेजों को लीक करना

आई. आर. एस. ओ. के वैज्ञानिकों के खिलाफ जासूसी का आरोप लगाते हुए अपीलार्थी-वैज्ञानिक की गिरफ्तारी-अपीलार्थी को लगभग पचास दिनों तक हिरासत में रहना पड़ा।

इस बीच, विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) द्वारा जांच सी. बी. आई. को सौंप दी गई-सी. बी. आई. द्वारा रिपोर्ट कि आरोप साबित नहीं हुए

और झूठे थे-सभी अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर दिया गया-इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा पुनः जाँच करने के निर्णय-अपीलार्थी द्वारा चुनौती-सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः जाँच के आदेश को रद्द कर दिया और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सुझाव दिया, हालांकि, राज्य सरकार ने मामले को बंद करने का आदेश जारी किया-मुकदमे का दौर-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए जिन्हें अपीलार्थी की अवैध गिरफ्तारी के लिए सीबीआई द्वारा कथित रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था। जब किसी व्यक्ति को पुलिस थाने की चार दीवारों के भीतर बंद कर दिया जाता है या उसे बंद कर दिया जाता है, तो उसे मानसिक पीड़ा होती है-शारीरिक पीड़ा नहीं दी जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से मानसिक यातना दी जाती है-किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा गरिमा के साथ उसके जीवन के अधिकार का एक अविभाज्य पहलू है।

पुलिस अभिरक्षा में अपीलार्थी ने अपीलार्थी को अत्यधिक अपमान, उत्पीड़न और अथाह पीड़ा से गुजरने के लिए मजबूर किया-उसकी स्वतंत्रता और गरिमा खतरे में पड़ गई-पुलिस द्वारा शुरू किया गया पूरा अभियोजन दुर्भावनापूर्ण था-राज्य पुलिस एक अत्यंत संवेदनशील मामले से निपट रही थी और अपीलार्थी और अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के बाद, राज्य ने अपने दम पर, मामले को सी. बी. आई. आपराधिक कानून में स्थानांतरित कर दिया, बिना किसी आधार के, किसी प्रकार की कल्पना या धारणा के सार्वजनिक कानून उपचार के तहत मुआवजे का वारंट जारी किया जा सकता है।

राज्य को रुपये का भुगतान करने का निर्देश। 50 अपीलार्थी को मुआवजे के रूप में लाख-गलती करने वालों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। अधिकारीगण।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया और वह लगभग पचास दिनों से हिरासत में है। उनकी गिरफ्तारी गंभीर है।

सी. बी. आई. की समापन रिपोर्ट में आलोचना की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि

अपीलार्थी द्वारा उत्पीड़न और मानसिक यातना का सामना करना स्वाभाविक है। जब व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की चार दीवारों के भीतर बंद कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, तो उसे मानसिक पीड़ा होती है। शारीरिक पीड़ा न हो लेकिन निश्चित रूप से मानसिक यातना होती है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा गरिमा के साथ जीने के उसके अधिकार का एक अविभाज्य पहलू है। [पारस 29,33,35] [65-सी-डी; 74-ए, एफ-जी]

1.2 राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया पूरा अभियोजन दुर्भावनापूर्ण था और इसने जबरदस्त उत्पीड़न किया है और

अपीलार्थी के लिए अथाह पीड़ा। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी को हिरासत में रखा जाता है और अंततः, मुकदमे के बाद, वह दोषी नहीं पाया जाता है। राज्य पुलिस एक अत्यंत संवेदनशील मामले से निपट रही थी और अपीलार्थी और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के बाद, राज्य ने अपने दम पर मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया। व्यापक जांच के बाद समापन रिपोर्ट दाखिल की गई। केरल राज्य के साथ-साथ अन्य उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया कि गलती सी. बी. आई. के साथ पाई जानी चाहिए। लेकिन राज्य पुलिस के साथ नहीं, क्योंकि उसने मामले को सी. बी. आई. को स्थानांतरित कर दिया था, इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। आपराधिक कानून बिना किसी आधार के लागू किया गया था। यदि किसी को कहने की अनुमति दी जाए, तो यह किसी प्रकार की कल्पना या धारणा पर शुरू किया गया था। अपीलार्थी की स्वतंत्रता और गरिमा जो उसके मानवाधिकारों के लिए बुनियादी हैं, खतरे में पड़ गई क्योंकि उसे हिरासत में ले लिया गया और अंततः, अतीत के सभी गौरव के बावजूद, वह सनकी घृणा का सामना करने के लिए मजबूर हो गया। यह स्थिति आमंत्रण देती है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए मुआवजे के अनुदान के लिए सार्वजनिक कानून का उपाय

संविधान। ऐसी स्थिति में, यह तत्काल जीवन में उभरता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन आत्म-सम्मान और गरिमा का आदेश देता है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 21 के तहत अपीलार्थी का मौलिक अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। [पैरा 31,36] [72-डी-एच; 73-ए; 75-ए-बी] एस. नंबी नारायण बनाम।

अलग-अलग गणित और अन्य

1.3 अपीलार्थी, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा रखने वाला एक सफल वैज्ञानिक, भारी अपमान से गुजरने के लिए मजबूर हुआ है। किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए राज्य पुलिस का लापरवाह रवैया और उसे पुलिस हिरासत में रखने से अपीलार्थी को अपमान सहना पड़ा है। व्यक्ति की गरिमा तब हैरान हो जाती है जब

उसका मनो-रोग संबंधी उपचार किया जाता है। एक मनुष्य न्याय के लिए रोता है जब उसे लगता है कि इस असंवेदनशील कार्य ने उसके आत्म-सम्मान को सूली पर चढ़ाया है। यह सार्वजनिक कानून उपचार के तहत मुआवजे का अनुदान देता है। अनुदान के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया है

क्षतिपूर्ति। यह संवैधानिक अदालत को सार्वजनिक कानून का सहारा लेते हुए मुआवजा देने से नहीं रोकेगा। न्यायालय अपीलार्थी द्वारा सामना किए गए गलत कारावास, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, अपमान और मानहानि की दृष्टि नहीं खो सकता है।

[पैरा 37] [75-एफ-एच; 76-ए-बी]

1.5 यह प्रस्तुत किया गया है कि मुआवजे का अनुदान वर्तमान प्रकृति के मामले में समाधान नहीं है; कि जो अधिकारी अपीलार्थी के दिमाग पर इस तरह के कष्टप्रद प्रभाव डालने के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना चाहिए; और गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। हालाँकि इस सुझाव का कड़ा विरोध किया गया है, फिर भी यह न्यायालय उक्त विरोध से प्रभावित नहीं हुआ है। प्राप्त करने वाला तथ्यात्मक परिदृश्य आवश्यक है

गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के तरीके और साधन खोजने के लिए एक समिति का गठन। उक्त उद्देश्य के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसकी अध्यक्षता इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. के. जैन करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक-एक अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया जाता है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। [पैरा 40] [76-एच; 77-ए-सी] [2018] 12 एस. सी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. चंद्रशेखर बनाम केरल राज्य और अन्य

(1998) 5 एससीसी 223: [1998] 3 एस. सी. आर. 72; जापानी साहू

वी. चंद्रशेखर मोहंती (2007) 7 एस. सी. सी. 394:

[2007] 8 एस. सी. आर. 582; पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

बार एसोसिएशन बनाम। पंजाब राज्य और अन्य

(1994) 1 एससीसी 616: [1993] 3 पूरक। एससीआर 915;

डी. के. बसु बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य (1997) 1 एस. सी. सी. 416:

[1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 284; जोगिंदर कुमार बनाम। की स्थिति

उत्तर प्रदेश और अन्य (1994) 4 एस. सी. सी. 260; किरण बेदी बनाम।

जाँच समिति और एक अन्य (1989) 1 एस. सी. सी. 494: [1989] 1 एस. सी. आर. 20; विश्वनाथ अग्रवाल बनाम। सरला

विश्वनाथ अग्रवाल (2012) 7 एससीसी 288 [2012] 7 एससीआर 607 ; दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम। की स्थिति

गुजरात और अन्य (1991) 4 एस. सी. सी. 406: [1991] 3 एससीआर

936 ; सुबे सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य (2006)

3 एस. सी. सी. 178 [2006] 2 एस. सी. आर. 67; मनदीप सिंह बनाम। राज्य मध्य प्रदेश का (2012) 1 एस. सी. सी. 748-संदर्भित।

डी. एफ. मैरियन बनाम डेविस 217 अला। 16 (आला। 1927)

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1998] 3 एससीआर 72

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

[2007] 8 एससीआर 582

पै

रा 27

संदर्भित किया गया है

[1993] 3 पूरक। एससीआर 915

पै

रा 28

संदर्भित किया गया है

[1996] 10 पूरक। एससीआर 284

पै

रा 32

संदर्भित किया गया है

(1994) 4 एससीसी 260

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[1989] 1 एससीआर 20

पै

रा 34

संदर्भित किया गया है

[2012] 7 एससीआर 607

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[1991] 3 एससीआर 936

पै

रा 36

संदर्भित किया गया है

[2006] 2 एससीआर 67

पै

रा 37

संदर्भित किया गया है

(2012) 1 एस. सी. सी. 748

संदर्भित किया गया है

पैरा 38 एस. नंबी नारायणन बनाम। अलग-अलग गणित और अन्य

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 6637 6638 2018 से।

केरल उच्च न्यायालय के एर्नाकुलम में डब्ल्यू. ए. नं. 1 के निर्णय और आदेश से। 1863 & 1959 2014 से।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., अशोक कुमार पांडा, थॉमस पी. जोसेफ, के. एन. बालगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , के. बी. साउंडर राजन, उन्नीकृष्णन, सुदर्शन राजन, महेश कुमार, पी. के. डे, ध्रुव श्योराण, अरविंद के. शर्मा, सुश्री श्रुति अग्रवाल, मुकेश कुमार मारोरिया, रंजीत। बी, लक्ष्मी एन. कैमल, सुश्री पारुल धुर्वे, अनुभव आनंद पांडे, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, मुकुदन,

सुश्री नित्या नांबियार, चिन्माय देशपांडे, सुश्री गीत आहूजा, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई। 1.अपीलार्थी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई. एस. आर. ओ.) के एक पूर्व वैज्ञानिक, केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर हमला किया है, जिसके तहत उसने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया है, जिन्होंने देरी के आधार पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने से इनकार करने वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था।

सरकार। कम से कम कहने के लिए, डिवीजन बेंच द्वारा चित्रण बहुत सरल है।

2. तथ्यों का बहुत संक्षिप्त रूप से खुलासा यह है कि 20.01.1994 पर, अपराध No.225/94 के खिलाफ वंचियूर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

मामले की जांच एस. विजयन द्वारा की गई थी, जो प्रतिवादी नं। 6 इसमें, जो तत्कालीन निरीक्षक, विशेष शाखा थे, तिरुवनंतपुरम।

3. मरियम रशीदा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

21.10.1994 . उसकी हिरासत पुलिस द्वारा 03.11.1994 पर प्राप्त की गई थी और केरल पुलिस और खुफिया ब्यूरो (IB) के अधिकारियों द्वारा उससे पूछताछ की गई थी। कथित तौर पर, पूछताछ के दौरान, उसने कुछ 'इकबालिया बयान' दिए, जिसके कारण भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध संख्या 246/1994, वंचियूर पुलिस स्टेशन का 13.11.1994 पर पंजीकरण हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि भारतीय [2018] 12 एस. सी. आर. के कुछ आधिकारिक रहस्य और दस्तावेज हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई. एस. आर. ओ.) को आई. एस. आर. ओ. के वैज्ञानिकों ने लीक कर दिया था। 4. एक अन्य मालदीव की नागरिक फौजिया हसन को मरियम रशीदा के साथ अपराध संख्या 246/1994 में गिरफ्तार किया गया था। 15.11.1994 पर,

दोनों मामलों की जांच श्री सिबी मैथ्यूज के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) द्वारा की गई थी। 1 इसमें, जो केरल पुलिस के तत्कालीन डी. आई. जी. अपराध थे। आई. डी. 1 को आई. एस. आर. ओ. के एक वैज्ञानिक श्री डी. ससिकुमारन को गिरफ्तार किया गया और आई. डी. 2 पर अपीलार्थी एस. नंबी नारायणन को दो अन्य व्यक्तियों के साथ गिरफ्तार किया गया। बाद में, केरल सरकार के अनुरोध और भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) को स्थानांतरित कर दिया गया, प्रतिवादी नं. 4 यहाँ। 5. जाँच के बाद, सी. बी. आई. ने एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी. जे. एम.) के समक्ष आई. डी. 1 की धारा 173 (2) के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि एकत्र किए गए साक्ष्य से संकेत मिलता है कि अपीलकर्ता सहित आई. एस. आर. ओ. में वैज्ञानिकों के खिलाफ जासूसी के आरोप साबित नहीं हुए थे और वे झूठे पाए गए थे। इस रिपोर्ट को अदालत के दिनांकित 02.05.1996 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया और सभी अभियुक्तों को आरोपमुक्त कर दिया गया।

6. इसके अलावा, केरल सरकार के मुख्य सचिव, सी. बी. आई. को संबोधित उक्त रिपोर्ट में प्रतिवादी नं. 4 यहाँ, था

स्पष्ट रूप से उल्लिखितः

" अभियुक्त व्यक्तियों के इनकार के बावजूद उनके

सी. बी. आई. द्वारा जटिलता, सावधानीपूर्वक, निरंतरता और श्रमसाध्य जांच शुरू की गई थी और जासूसी गतिविधियों के उद्देश्यों के लिए बैठकों के स्थानों के बारे में केरल पुलिस/आई. बी. को कथित रूप से दिए गए अपने पहले के बयान में अभियुक्तों द्वारा दी गई हर जानकारी, विभिन्न तकनीकों के ड्राइंग/दस्तावेजों को पारित करने की संभावना, उसके विचार के रूप में धन की प्राप्ति आदि में प्रवेश किया गया था, लेकिन किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकी।

7. सी. बी. आई. ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवादी नं. 1 यहाँ, यह कहते हुए आगे बढ़ेः

" आई, एस. सिबी मैथ्यू विशेष जांच दल का नेतृत्व कर रहे थे और इसलिए, उपरोक्त दो मामलों में जांच के संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे। सी. बी. आई. द्वारा की गई जाँच से पता चला है कि उसने नंबी नारायण बनाम के संबंध में भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

अरबी गणित और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

केरल द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों से गहन पूछताछ

पुलिस या द्वारा किए गए तथाकथित प्रकटीकरण का सत्यापन

अभियुक्त व्यक्ति। वास्तव में, उन्होंने पूरी जांच आई. बी. पर छोड़ दी

पर्याप्त सबूतों के बिना इसरों के वैज्ञानिक और अन्य रिकॉर्ड करें। इसने इस बात पर जोर दिया कि न तो श्री। सिबी मैथ्यू और उनकी टीम

अभियुक्तों को कथित रूप से न तो कोई धन दिया गया है और न ही अपने विदेशी स्वामियों द्वारा व्यक्ति। यह उसके लिए अव्यावसायिक था

जगह और इस तरह से टालने योग्य मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कारण बना उनके लिए। यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने अपने दम पर कोई कदम नहीं उठाया

उसके द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर जाँच करने का स्तर। तब से

एस. मैथ्यू त्रिवेंद्रम में रहते थे, इसका कोई औचित्य नहीं था

अभियुक्त नंबी नारायणन के परिसर को गिरफ्तार किया गया था 30.11.1994 पर केरल पुलिस।

वी. आई. श्री सिबी मैथ्यू और उनकी टीम मैच में भी बुरी तरह विफल रही।

होटलों के अभिलेखों का सत्यापन करना। , होटल फोरट मनोर, होटल पंकज, होटल लूसिया, आदि, जो स्थित थे

अभियुक्त के बयान की सच्चाई का पता लगाने के लिए त्रिवेंद्रम

लोग।

उपरोक्त तथ्यों को सक्षम लोगों के ध्यान में लाया जा रहा है।

उनके प्रकार के विचार के लिए और ऐसी कार्रवाई के लिए प्राधिकरण जो माना जाता है फिट।

[जोर दिया गया]

8. 27.06.1996 पर, केरल राज्य सरकार,

सी. बी. आई. की रिपोर्ट से संतुष्ट होकर, वापस लेने की अधिसूचना जारी की

आर ने मामले को सी. बी. आई. को सौंपने के लिए अधिसूचना जारी की और निर्णय लिया कि

राज्य पुलिस द्वारा मामले की पुनः जांच। यह अधिसूचना

-जाँच को यहाँ अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई थी, इससे पहले कि

केरल न्यायालय, ओ. पी. सं. 14248/1996-यू लेकिन अधिसूचना

केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 27.11.1996 आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई।

9. केरल उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश से व्यथित,

इसमें अपीलार्थी ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय का रुख किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. चंद्रशेखर बनाम में यह न्यायालय। केरल राज्य और अन्य ने पुनः जाँच के लिए केरल राज्य की अधिसूचना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उक्त अधिसूचना सुशासन के खिलाफ थी और इसके परिणामस्वरूप, सभी

अभियुक्तों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इस न्यायालय की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

" भले ही हम यह मान लें कि राज्य सरकार की आवश्यकता थी

विवादित अधिसूचना जारी करने की शक्ति और अधिकार, फिर भी

उसी को दुर्भावना के आधार पर रद्द किया जा सकता है शक्ति का प्रयोग। इसके वाक्पटु प्रमाण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

अभिलेख पर निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है।

[जोर दिया गया]

10. इस न्यायालय द्वारा मामले के निपटारे के बाद भी, राज्य

केरल ने गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आदेश दिया कि

रुपये का मुआवजा। 10,00,000 / - (केवल दस लाख रुपये) अपीलार्थी को अंतरिम राहत के रूप में, जिसने हर्जाने के रूप में रु. 1,00,00,000/- (केवल एक करोड़ रुपये) की मांग की थी। केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने दिनांक 07.09.2012 के आदेश के माध्यम से सरकार को उक्त भुगतान के तीन सप्ताह के भीतर Rs.10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) की अंतरिम राहत का भुगतान करने के लिए कहा।

आदेश दें।

11. इसके बाद, एक राजशेखरन नायर ने एक रिट याचिका दायर की।

डब्ल्यू. पी. (ग) केरल राज्य के लिए निर्देश की मांग करने वाली सी. बी. आई. द्वारा दायर रिपोर्ट के आधार पर केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 का सं. 8080।

दुर्भावनापूर्ण जाँच करने के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित आदेश पारित करना और आवश्यक कार्रवाई करना। इस बीच, सरकार ने दिनांक 1 के आदेश द्वारा एस. आई. टी. (गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों) के सदस्यों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। केरल राज्य के दिनांकित 29.06.2011 आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

" 5) सी. बी. आई. और अभियुक्त-बरी किए गए व्यक्तियों दोनों ने संपर्क किया

सरकार की कार्रवाई के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय

केरल। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कार्रवाई को बरकरार रखा

सरकार। इसके खिलाफ सी. बी. आई. और अभियुक्त को आरोपमुक्त कर दिया गया।

व्यक्तियों ने एसएलपी के माध्यम से उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

केरल सरकार की कार्रवाई।

' (1998) 5 एस. सी. सी. 223 नंबी नारायण बनाम।

अरबी गणित और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

6) इस बीच सरकार ने संदर्भ के साथ मामले की जांच की

राज्य पुलिस प्रमुख से प्राप्त विचारों पर

संबंधित अधिकारियों के स्पष्टीकरण के साथ सी. बी. आई. का अवलोकन। जाँच के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सी. बी. आई. की प्रार्थना की अनुमति दी और अभियुक्तों ने व्यक्तियों को आरोपमुक्त कर दिया

जासूसी मामले की जांच के लिए सी. बी. आई. को दी गई सहमति को वापस लेने और आई. एस. आर. ओ. जासूसी मामले की "आगे की जांच" करने के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर सवाल उठाया और रुपये देने का भी निर्देश दिया। 1 प्रत्येक अभियुक्त अपीलार्थी को एक-एक लाख रुपये

लागत के रूप में।

जिन्होंने अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई निर्देश जारी किया था अर्थात्: - श्री एस. विजयन, तत्कालीन निरीक्षक, विशेष शाखा, तिरुवनंतपुरम शहर, श्री के. के. जोशवा, तत्कालीन डिप्टी गवर्नर। एस. पी., सी. बी. सी. आई. डी., तिरुवनंतपुरम, श्री सिबी मेथ्यूज, विशेष जांच दल के तत्कालीन डी. आई. जी. (अपराध) जिन्होंने जांच की थी

इसरो जासूसी मामला।

8) इन परिस्थितियों में, सरकार का विचार है कि अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना उचित या कानूनी नहीं है। 15 वर्ष बीतने के बाद, इस समय सी. बी. आई. की जांच रिपोर्ट में बताई गई कथित खामियां और इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ उनकी कथित खामियों के लिए कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

इसरो जासूसी मामले की जांच का आदेश दिया गया है तदनुसार "।

12. डब्ल्यू. पी. (ग) 2010 की सं. 8080 का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था और इसमें याचिकाकर्ता, राजशेखरन के रूप में इसे निष्फल बना दिया गया था।

आरएनएमटी द्वारा जारी आदेश को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखना चाहता था। दुर्गम कठिनाइयों के बावजूद, अदम्य भावना और अपीलार्थी ने उन्हें एक और रिट याचिका, डब्ल्यू. पी. दायर करने के लिए प्रेरित किया। (ग) केरल उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 का सं. 8। केरल न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, पक्षों और [2018] 12 एस. सी. आर. की दलीलों पर विचार करते हुए।

इसके बाद मामले पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए, रिट याचिका को मंजूरी दी और केरल राज्य द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत केरल सरकार ने एस. आई. टी. (गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों) के सदस्यों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था और परिणामस्वरूप मामले को केरल राज्य को भेज दिया, प्रतिवादी नं. 2 इसमें, पुनर्विचार और तीन महीने के भीतर आगे के आदेश पारित करने के लिए। यद्यपि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसे राज्य के लिए खुला छोड़ दिया

केरल इस मामले में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में फैसला करेगा, फिर भी यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए

न केवल एक नाम हो जो न्याय के प्रशासन को एक मजाक बना देगा। 13. हालाँकि विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय को केरल राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, फिर भी दो निजी व्यक्ति,

उत्तरदाता संख्या। 1 और इसमें 5 ने डब्ल्यू. ए. संख्या में खंड पीठ के समक्ष निर्णय पर हमला किया। 1863 और 2014 का 1959। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित निर्णय और दिनांक 1 (आई. डी. 1) के आदेश के माध्यम से कहा कि सरकार के समक्ष एकमात्र सवाल यह था कि क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी थी जो एस. आई. टी. के सदस्य थे जिन्होंने कुछ दिनों तक जांच की और उसके बाद बताया कि मामले की जांच सी. बी. आई. द्वारा की जानी चाहिए। डिवीजन बेंच ने राय दी कि तथ्यात्मक निष्कर्ष या रिपोर्ट

मामले में सी. बी. आई. द्वारा 03.06.1996 पर प्रस्तुत राय को केवल सी. बी. आई. द्वारा व्यक्त राय के रूप में माना जा सकता है जिस पर सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, खंड पीठ ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से अपनी उपरोक्त रिपोर्ट में सी. बी. आई. द्वारा व्यक्त राय पर विचार करने या न करने के लिए इसे सरकार पर छोड़ दिया।

14. डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि एस. आई. टी. के गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का केरल सरकार का निर्णय तीन विशिष्ट निष्कर्षों पर आधारित था, अर्थात् (i) संबंधित पुलिस अधिकारियों के स्पष्टीकरण के साथ सी. बी. आई. की टिप्पणियों के संबंध में राज्य पुलिस प्रमुख से प्राप्त विचारों के संदर्भ में मामले की सरकार की जांच, (ii) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी निर्देश की अनुपस्थिति जिसने एस. आई. टी. के गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को स्वीकार कर लिया था।

अंतिम रिपोर्ट, और (iii) जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी निर्देश की अनुपस्थिति। इसके अलावा, सरकार ने कहा कि पंद्रह साल के अंतराल के बाद सी. बी. आई. की रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना उचित या कानूनी नहीं है।

यह ध्यान दिया जाए कि खंड पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी करते हुए निष्कर्ष निकालाः

15 .

" इसलिए Ext.P2 में उल्लिखित तीन कारण स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि सरकार ने उक्त निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक मामलों की जांच की है। जब किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया गया है, तो ऐसे प्रासंगिक मामलों पर विचार करने के बाद, निर्णय को अनुचित, अनुचित या मनमाना नहीं माना जा सकता है।

और फिर सेः

" वास्तव में, क्या अभियुक्तों को प्रताड़ित किया गया था या नहीं, यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न है। इसके अलावा आरोपी द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी। जब तथ्य ऐसा है और याचिकाकर्ता के होने के बाद से

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सिविल कोर्ट से पहले ही संपर्क किया जा चुका है, यह उक्त एजेंसियों को उचित निर्णय पर पहुंचना है

ऐसे विवादित तथ्यों के बारे में पता लगाना।

उक्त आदेश इन अपीलों में इस न्यायालय के समक्ष हमले का विषय है।

16. अपीलार्थी द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि केरल पुलिस द्वारा उसके खिलाफ शुरू किया गया अभियोजन दो कारणों से दुर्भावनापूर्ण था,

सबसे पहले यह कि उक्त अभियोजन का इसरो में एक प्रमुख और प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में उनके सेवा जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा

अपने करियर, जीवन काल, बचत, सम्मान, शैक्षणिक कार्य के साथ-साथ आत्मसम्मान को दबाना और इसके परिणामस्वरूप उनके पूरे परिवार की शांति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है जो एक अक्षम्य व्यक्तिगत नुकसान है, और दूसरा, उनके लिए अपूरणीय और अपूरणीय क्षति और झटका है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान में तकनीकी प्रगति।

17. यह भी तर्क दिया गया है कि सी. बी. आई., जिसे अपीलार्थी के खिलाफ मामले की जांच हस्तांतरित की गई थी, ने लगभग अठारह महीने की गहन जांच के बाद एक व्यापक और विस्तृत रिपोर्ट दायर की, जिसमें उसने सिफारिश की थी कि अपीलार्थी के खिलाफ मामले को बंद कर दिया जाए क्योंकि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप पूरी तरह से अप्रमाणित हैं।

18. अपीलार्थी ने इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया है कि उक्त रिपोर्ट में सी. बी. आई. ने भी कई खामियों को उजागर किया था।

और अपीलार्थी के खिलाफ मामले की जाँच करते हुए केरल पुलिस अधिकारियों की ओर से आयोग। इसके अलावा, सी. बी. आई. ने अपने [2018] 12 एस. सी. आर. में कहा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केरल सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर चूक के लिए कार्रवाई की जाए।

अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। अपीलार्थी ने अपनी दलीलों में इस तथ्य पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि राज्य सरकार ने सी. बी. आई. द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने और गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के बजाय, अपीलार्थी के खिलाफ जांच पर आगे की कार्रवाई करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और एक अधिसूचना के माध्यम से एक विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) का गठन करने के लिए जल्दबाजी की, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

19. अपीलार्थी ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला है कि इस न्यायालय ने पहले उसके खिलाफ शुरू किए गए दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के बारे में राय दी थी। रिलायंस

20. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील नं। 1 उसने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का यह तर्क कि यदि उसे गलत तरीके से फंसाया नहीं गया होता, तो वह क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी में बहुत बड़ा बदलाव लाता और इस प्रकार राष्ट्र के लिए अत्यधिक योगदान देना असमर्थनीय है क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उन्होंने मरियम रशीदा की गिरफ्तारी के तुरंत बाद 01.11.1994 पर अपना वी. आर. एस. जमा किया था, और उसी दिन, उनका वी. आर. एस.

उच्च अधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया। यह इंगित किया गया है कि राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान का दावा अपीलार्थी द्वारा केवल न्यायालय की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।

21. यह आगे बताया गया है कि मामले की पूरी जांच

अपीलार्थी के खिलाफ तत्कालीन पुलिस महानिदेशक (खुफिया) और पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) की कड़ी निगरानी में कार्रवाई की गई और जाँच के दौरान उन्हें दैनिक रिपोर्ट भेजी गई। यह भी रेखांकित किया गया है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी के दिन, प्रतिवादी नं. 1 इस मामले को सी. बी. आई. को सौंपने का अनुरोध करते हुए डी. जी. पी. को एक रिपोर्ट सौंपी थी जो एक स्पष्ट संकेत है।

इस तथ्य के बारे में कि उक्त प्रतिवादी की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी। 1 और केरल पुलिस के अन्य अधिकारी। प्रत्यर्थी नं.

तर्क दिया कि तथ्यों के पूरे सरगम से पता चलता है कि उन्होंने और अन्य अधिकारियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया था और रिकॉर्ड पर साक्ष्य और अन्य अभियुक्तों के बयानों ने स्पष्ट रूप से जासूसी की गतिविधियों में अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता को दिखाया था।

22. प्रत्यर्थी नं. 1 , अपने दावे को साबित करने के लिए कि

उसे राज्य पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था जो सच्चाई से बहुत दूर था। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.01.1987 के अनुसार, केंद्र सरकार ने इन शक्तियों को प्रदान किया है - खुफिया ब्यूरो के सहायक निदेशक रैंक के अधिकारियों पर पुलिस अधीक्षक और तत्काल मामले में, आई. बी. राज्य सरकार द्वारा एक विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) के गठन से बहुत पहले ही चर्चा में आ गया था।

23. यह प्रत्यर्थी सं. द्वारा उजागर किया गया है। 1 कि अपीलार्थी की संलिप्तता का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत थे और यह भी आया था

प्रत्यर्थी की सूचना पर सं। 1 कि अपीलार्थी, जिसने अपना वी. आर. एस. प्रस्तुत किया था, देश छोड़ने का इरादा रखता था और उक्त तथ्यों के आलोक में, अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी आवश्यक हो गई थी। विद्वान वकील तर्क देंगे कि सी. बी. आई. का रुख यह कि कोई भी आपत्तिजनक रिकॉर्ड बरामद नहीं किया गया था, अस्वीकार्य है क्योंकि अंतिम रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोपी व्यक्तियों के घर से 235 दस्तावेज बरामद किए गए थे और इसका कारण एक ऐसा मुद्दा था जिसकी जांच की आवश्यकता थी।

24. इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि मामले की जांच प्रतिवादी नं. 1 केवल 17 दिनों के लिए और उसके बाद, यह सी. बी. आई. ही थी जिसने जाँच की और इसलिए, मीडिया को अवगत कराने की ज़िम्मेदारी सी. बी. आई. पर पड़ी, न कि प्रतिवादी नं. 1. की गैर-भागीदारी को दिखाने के लिए कई अन्य पहलुओं का विरोध किया गया है

प्रतिवादी ने कहा और मामले को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करने के लिए उसकी ओर से ईमानदारी से काम किया। मामले को सी. बी. आई. को हस्तांतरित करने के बाद एस. आई. टी. के खिलाफ आरोप लगाना अनुचित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

25. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील नं। 1 प्रस्तुत करता है कि अपीलार्थी के इस तर्क का पूरा जोर कि उसे यातना दी गई थी, आधार पर पड़ता है क्योंकि आई. बी. के जिन अधिकारियों के खिलाफ यातना के प्रमुख आरोप लगाए गए थे, उन्हें उक्त कार्रवाई के लिए जवाबदेह नहीं बनाया गया था और इसलिए, प्रतिवादी को नं. 1 और केरल के अन्य पुलिस अधिकारी कथित यातना के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को केवल नए सिरे से विचार के लिए राज्य सरकार को भेज दिया था और इस आरोप पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया था

यातना और प्रतिवादी नं। 1 इसने यह भी तर्क दिया था कि अपीलार्थी ने कभी भी सीजेएम अदालत के समक्ष यातना का कोई आरोप नहीं लगाया। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ता केवल 5 दिनों के लिए केरल पुलिस की हिरासत में था, जबकि सी. बी. आई. ने तीन मौकों पर आरोपी की हिरासत ली थी और पैंतालीस दिनों तक हिरासत में रखा था। 26. चौथे प्रतिवादी, सी. बी. आई. की ओर से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई खामियों और दोषों को उजागर करने के बावजूद

पुलिस अधिकारी अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ जांच करते हुए केरल सरकार गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रही है। यह प्रस्तुत किया गया है कि केरल सरकार द्वारा गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करने के लिए दिए गए कारण, जिन्होंने न केवल इसरो के वैज्ञानिकों को अमानवीय हिरासत में यातना दी थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी किया था, एक अक्षम्य चूक थी। यह इंगित किया गया है कि यदि केरल सरकार की कार्रवाई में देरी के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो यह अपने स्वयं के गलत काम का लाभ उठाने के समान होगा और अक्षम्य के लिए एक प्रीमियम जोड़ने के समान होगा।

गलती।

27. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील नं। 4 प्रस्तुत किया है कि पुलिस अधिकारियों का आचरण आपराधिक प्रकृति का है

सी. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत जाँच और रिपोर्ट और सी. बी. आई. की जाँच ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया था कि राज्य पुलिस द्वारा की गई जाँच खामियों से भरी थी और इसमें आपराधिक यातना जैसे अवैध साधनों का उपयोग भी शामिल था। उत्तरदाताओं का रुख यह है कि रिपोर्ट अनुशंसनीय है, लेकिन केरल राज्य पर यह दायित्व था कि वह उसी पर कार्य करे क्योंकि यह संवैधानिक शासन के एक उपयुक्त पहलू और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के सम्मान को दर्शाता है। जापानी साहू बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए।

चंद्र एस. नंबी नारायणन बनाम। अरबी गणित और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

शेखर मोहंती, यह प्रस्तुत किया जाता है कि केरल राज्य विलंब और विलंब के सिद्धांत की शरण नहीं ले सकता था। पुलिस अधिकारियों का त्रुटिपूर्ण आचरण आपराधिक प्रकृति का होता है और उक्त अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके ही अपीलार्थी को न्याय दिया जा सकता है।

पीड़ित को हुए अपमान और अपमान के लिए मुआवजे के भुगतान के साथ। 28. यह आगे प्रत्यर्थी सं. के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया जाता है। 4 कि जनता में विश्वास पैदा करने के लिए जांच शुरू की जा सकती है

दिमाग। उनके रुख को मजबूत करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में निर्णय लिया गया

कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम। पंजाब राज्य और अन्य 3 को सेवा में लगाया गया है।

29. सबसे पहले, हम मुआवजे के अनुदान के पहलू का विज्ञापन करेंगे। उपरोक्त विश्लेषण से हमारा विचार है कि अपीलार्थी था गिरफ्तार किया गया और वह लगभग पचास दिनों से हिरासत में है। सी. बी. आई. की समापन रिपोर्ट में उनकी गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की गई है। रिपोर्ट में निहित टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

" 2. सरकार के अनुरोध पर परिणाम। केरल के

अपराध सं. 225/95 और सं. 246/94 की जाँच सौंपी गई थी।

के लिए। डी. पी. एंड टी. अधिसूचना संख्या 228/59/94-AVD.II (आई) और (आई) दिनांक 2/12/94 के माध्यम से जांच के लिए सी. एच. आई.। तदनुसार, मामला आर. सी.। 10 (एस) 94 एलआईएस। 14 विदेशी अधिनियम और विदेशी अधिनियम, 1948 का पैरा 7

(अपराध सं. 225/95) और मामला आर. सी. 11 (एस)/94 यू/एस के अनुरूप। 120 - बी आर/डब्ल्यू देखें। 3 , 4 & 5 आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम आर/डब्ल्यू सेक। 34 आई. पी. सी. (अपराध संख्या 246/94 के अनुरूप)। पंजीकृत किया गया था

3/12/94 एस. आई. यू. में। सीबी1/SIC.II/नई दिल्ली की वी शाखा।

3. मामला दर्ज होने के तुरंत बाद,

4/12/94 पर जाँच की गई और दोनों मामलों की पुलिस केस फाइलों को अपने हाथ में ले लिया गया। जाँच के बाद, केस क्राइम नं. 225.94 मरियम फ़शीदा के खिलाफ 17/12/94 पर दायर किया गया था। यह मामला आरोपी मरियम को बरी करने में समाप्त हो गया है।

रशीदा कोचीन के माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.1995 के माध्यम से।

4. मामले की जांच के दौरान स्थानीय पुलिस

अपराध सं. 225/94 ने द्विवेदी लिपि में लिखी एक डायरी जब्त की थी।

अभियुक्त मरियम रशीदा से, जिसकी सामग्री

2 (2007) 7 एस. सी. सी. 394

3 (1994) 1 एससीसी 616 [2018] 12 एस. सी. आर.

पता चला कि आरोपी मरियम रशीदा और फौजिया हसन होटल स्मार्ट, त्रिवेंद्रम के कमरा संख्या 205 में 17/9/94 से 20/10/94 तक रुके थे और इस अवधि के दौरान कमरा संख्या 205 से तेल तक कई टेलीफोन कॉल किए गए थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वलियामाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक डी. ससिकुमारन की संख्या। इस मामले में केरल पुलिस की हिरासत में आरोपी मरियम रशीदा से केरल पुलिस और खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। आरोपी मरियम रशीदा ने कथित तौर पर फौजिया हसन और मोहियुद्दीन राज्य के साथ कोलंबो में बसे मालदीव के नागरिक जुहिरा के संपर्कों का खुलासा करते हुए एक बयान दिया, जो माले में हबीब बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करने वाला पाकिस्तानी नागरिक था और मजहर खान, एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक था। उसने कथित तौर पर यह भी खुलासा किया कि फौजिया हसन के अनुसार, डी. ससिकुमारन जुहेरिया की दोस्त थी। आरोपी मरियम रशीदा द्वारा कथित रूप से किए गए खुलासों के साथ-साथ उसकी डायरी की सामग्री और उसके साथ टेलीफोन संपर्कों के आधार पर डी. ससिकुमारन, तत्काल मामला इस संदेह पर दर्ज किया गया था कि वह और फौजिया हसन अन्य लोगों के साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में भाग ले रहे थे।

5. अपराध सं. 246/94 की जाँच जारी रही।

विशेष शाखा केवल दो दिनों के लिए और 15.11.94 पर,

त्रिवेंद्रम के डी. आई. जी. (अपराध) श्री सिबी मैथ्यूज के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने जांच का जिम्मा संभाला था। जाँच के दौरान केरल पुलिस/अपराध शाखा ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तिथियाँ जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

फौजिया हसन-13.11: 94

आई.

ii. मरियम फशीदा-14.11.94

iii.

डी. ससिकुमारन -

21.11.94

iv.

के. चंद्रशेखर-23.11.94

वी. नांबी नारायणन-30.11.94

vi.

सुधीर कुमार शर्मा-01.12.94 नंबी नारायण बनाम।

अरबी गणित और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

5. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद में डी. ससिकुमारन के कार्यालय कक्ष के साथ-साथ निवास की तलाशी 21.11.94 पर और त्रिवेंद्रम में उनके कार्यालय और निवास की 30.11.94 पर की गई। कार्यालय की खोज के साथ-साथ आरोपी चंद्रशेखर और एस. के. शर्मा का निवास बैंगलोर में 21.11.94 पर आयोजित किया गया था। बैंगलोर की सुश्री सारा पलानी के घर की तलाशी भी 21.11.94 पर ली गई, जहाँ आरोपी फौजिया हसन रह रही थी। इसके अलावा, श्री का हाउस सीच। एल. पी. एस. सी. वलियामाला के दोनों वरिष्ठ वैज्ञानिक एम. के. गोविंदन नायर और श्री मोहना प्रसाद का भी परीक्षण किया गया, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक बरामद नहीं हुआ। अपराध शाखा ने 27 गवाहों को भी बरी कर दिया, लेकिन किसी भी गवाह ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आरोपी व्यक्तियों की कथित जासूसी गतिविधियों के बारे में कोई प्रकाश डाल सके। होटल सम्राट, त्रिदंद्रम के 7 गवाहों ने आरोपी मरियम रहसीदा और फौजिया हसन के होटल सम्राट में कमरा संख्या 205 में 19.9.94 से 20.10.94 तक रहने और मरियम रशीदा से मिलने के लिए होटल सम्राट में ससिकुमारन की यात्रा को साबित किया। होटल गीत, त्रिवेंद्रम और होटल रॉक होल्म, त्रिवेंद्रम के गवाहों ने आरोपी ससिकुमारन की मरियम रशीदा के साथ उक्त होटल में आई. डी. 2 पर और विट्जी मरियम रशीदा की आई. डी. 2 और आई. डी. 1 पर क्रमशः यात्रा को साबित किया।

लाभः

" 10. हालाँकि अभियुक्त व्यक्तियों की कथित जासूसी गतिविधियों के बारे में स्थानीय पुलिस/अपराध शाखा की जाँच के दौरान कोई स्वतंत्र सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है, फिर भी अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किए गए खुलासों के आधार पर, जासूसी गतिविधियों के बारे में जो मॉड्यूल सामने आया वह वह आरोपी था

नांबी नारायणन और ससिकुमारन वाइकिंग/विकास इंजन प्रौद्योगिकी, क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी और पी. एस. एल. वी. उड़ान डेटा/ड्राइंग से संबंधित आई. एस. आर. ओ. के दस्तावेजों को पास करते थे और आरोप लगाते थे कि चंदेरसेखर, एस. के. शर्मा और रमन श्रीवास्तव, तत्कालीन आई. जी. पी. दक्षिण क्षेत्र, केरल ने आई. एस. आर. ओ. के गोपनीय दस्तावेजों को पास किया। वैमानिकी रक्षा प्रतिष्ठान, बैंगलोर। दस्तावेज़/चित्र कथित तौर पर मोहम्मद को दिए गए थे। असलम, एक पाकिस्तानी परमाणु

वैज्ञानिक और मोहम्मद। पैसों के लिए पाशा/अहमद पाशा

विचार और यह कि लाखों अमेरिकी डॉलर की राशि आरोपी ससिकुमारन, चंद्रशेखर, [2018] 12 एस. सी. आर. द्वारा प्राप्त और साझा की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नंबी नारायणन और श्री रमन श्रीवास्तव और मोहिउद्दीन, सहायक। हबीब बैंक के प्रबंधक माले उन व्यक्तियों में से एक थे जो आरोपी को वित्तपोषण कर रहे थे। अभियुक्त फौजिया कोलोमोबो में बसे मालदीव के नागरिक ज़ुहरिया हसन, रूस के ग्लोवकोसमोस के श्री अलेक्सी वैसिव और श्री रमन श्रीवास्तव वाहक के रूप में काम करते थे। जासूसी गतिविधियों के लिए आयोजित कुछ महत्वपूर्ण बैठकें और जिनमें

दस्तावेज़ कथित तौर पर एक विचार के लिए पारित किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय होटल मद्रास में 24.5.1994, m बैंगलोर में आयोजित किए गए थे।

सितंबर के मध्य में और आई. डी. 1 पर त्रिवेंद्रम के होटल लूसिया में, जिसमें कुछ अभियुक्तों के साथ-साथ जुहेरा और आई. जी. पी. श्री रमन श्रीवास्तव ने भाग लिया।

11. सी. बी. आई. द्वारा जाँच संभालने के तुरंत बाद,

सभी 6 अभियुक्त व्यक्तियों से पूरी तरह से पूछताछ की जाती है, केरल पुलिस/आईबी के समक्ष अभियुक्त द्वारा दिए गए कथित बयानों को सच माना जाता है, लेकिन उन सभी ने किसी भी जासूसी गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया। सामना करने पर

केरल पुलिस के साथ-साथ आईबी अधिकारियों के समक्ष उनके द्वारा दिए गए बयानों में, अभियुक्तों ने यह दलील दी कि बयान दबाव में सुझाए गए तर्ज पर दिए गए थे। हालांकि ऐसा नहीं था

किसी भी दस्तावेज के खो जाने के बारे में या तो इसरो या डी. ई. बैंगलोर से शिकायत, स्थानीय पुलिस/खुफिया अधिकारियों के समक्ष किए गए अभियुक्तों के कथित खुलासे को उनके अंकित मूल्य पर लिया गया और आरोपी मरियम रशीदा और फौजिया हसन की भारत की विभिन्न यात्राओं के विवरण और उद्देश्यों का पता लगाने के लिए केंद्रित जांच की गई, उनके ठहरने के स्थान थे सत्यापित, अभियुक्तों सहित जिन व्यक्तियों के साथ वे संपर्क में आए थे, उनकी जांच की गई और मौखिक के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या अभियुक्तों ने कोई ऐसा कार्य किया है जो उनके लिए प्रतिकूल था।

राज्य की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा और राज्य का उल्लंघन

सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

" अभियुक्त नंबी नारायणन थुंबा इक्वोटेरियल में शामिल हुए आई. डी. 1 पर तकनीकी सहायक (डिजाइन) के रूप में प्रणाली का शुभारंभ किया और फिर समय-समय पर उन्हें पदोन्नत किया गया और वे जनवरी 93 से वैज्ञानिक-2 के रूप में काम कर रहे थे। सिस्टम प्रोजेक्ट में, एसोसिएट्स प्रोजेक्ट नाम्बी नारायण बनाम।

अरबी गणित और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

निदेशक जीएसएलवी और परियोजना निदेशक पीएस-II और पीएस-एलवी और एलपीएससी में प्रक्षेपण वाहन प्रणाली परियोजनाओं के संगठन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स एक्स

32. जाँच के दौरान न तो कोई सबूत रिकॉर्ड पर आया जिससे संकेत मिलता है कि आरोपी किसी भी बचाव पक्ष के आईएसआरओ के गुप्त दस्तावेजों को पारित करके जासूसी गतिविधियों में लिप्त था प्रतिष्ठानों और न ही कोई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए जा सके। आरोपी मरियम रशीदा ने यह रुख अपनाया है कि उसे 29.9.94 पर माले लौटना था लेकिन वह त्रिवेंद्रम पहुंच सकती थी

हवाई अड्डा क्योंकि उन्हें 'बंद' के कारण कोई परिवहन नहीं मिला। इसके बाद, इंडियन एयरलाइंस (रोशनी बंद कर दी गई थी) प्लेग के डर का कारण और इस प्रकार, वह नहीं जा सकी। चूँकि वह 14.10.94 पर 90 दिनों का प्रवास पूरा करने जा रही थी, और सक्षम करने के लिए

उसे 90 दिनों से आगे रहने के लिए उसे पुलिस अधिकारियों की अनुमति की आवश्यकता थी, वह फौजिया हसन के साथ पुलिस आयुक्त के कार्यालय गई और इंस्पेक्टर विजयन से संपर्क किया। उन्हें इंस्पेक्टर विजयन ने सलाह दी थी कि वे पहले एक कन्फर्म टिकट प्राप्त करें

उसकी वापसी के लिए और फिर उसके प्रवास के विस्तार के लिए संपर्क करने के लिए। तदनुसार, उन्होंने अपने प्रस्थान के लिए एक इंडियन एयरलाइंस टिकट और एक एयर लंका टिकट की पुष्टि की और इंस्पेक्टर विजयन से संपर्क किया। हालाँकि, इंस्पेक्टर विजयान ने टिकट के साथ-साथ उसका पासपोर्ट भी ले लिया और अंततः उसे 20.10.94 पर गिरफ्तार कर लिया गया।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

38. केरल पुलिस के समक्ष कथित रूप से दिए गए आरोपी नंबी नारायणन के बयान के अनुसार, हबीबुल्लाह खान के साथ वाइकिंग/विकास इंजन ड्राइंग की बिक्री का सौदा रुपये में किया गया था। 1.5 करोड़। चित्रों की दो किश्तें रौज़िया को थम्पनूर बस स्टैंड और लूसिया होटल में दी गईं और तीसरी

किस्त 5,12.94 पर दी जानी थी। एल. पी. एस. सी. के रॉकेट प्रक्षेपण विवरण के हस्तांतरण के लिए एक अन्य सौदे को फरवरी, 1993 के दौरान होटल फोर्ट मैनर में फौजिया हसन और अहमद पाश के साथ यू. एस. एस. 1 लाख के लिए अंतिम रूप दिया गया था।

11.10.94 वह और ससिकुमारन फौजिया को होटल सम्राट से पास के बांध पर ले गए और क्रायोजेनिक तकनीक वाले पैकेटों के हस्तांतरण में लगे रहे।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जाँच से पता चलाः

रशीदा, नांबी नारायणन और चंद्रशेखर सहित अन्य लोगों को परेशान किया गया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह दिलचस्प है कि जबकि आईबी यदि सभी छह अभियुक्तों को उनकी हिरासत में रखा गया था, तो उन्होंने केवल ससिकुमारन, चंद्रशेखर, फौजिया और रशीदा के बयान दर्ज किए, न कि नंबी नारायणन और एस. के. शन्ना के। यह मानने का कारण है कि पूछताछ करने वालों ने आरोपी व्यक्तियों को सुझाए गए आधार पर बयान देने के लिए मजबूर किया। सी. बी. आई. ने आई. डी. 1 पर चंद्रशेखर की व्यक्तिगत डायरी जब्त कर ली। जिसमें उनकी गतिविधियों का विवरण लगभग दिन-प्रतिदिन के आधार पर था। अगर

चंद्रशेखर ने केरल को सच बताया था।

पुलिस/आई. बी. पूछताछकर्ता, निश्चित रूप से उनके पास भी होगा

उनकी डायरी के अस्तित्व का पता चला जो मामले का समर्थन नहीं करती थी

उसके खिलाफ। उन्होंने अपनी डायरी के अस्तित्व के बारे में सी. बी. आई. के समक्ष खुलासा किया जो विश्लेषण पर उनकी गतिविधियों के बारे में उनके कथन की पुष्टि करता है। बैंगलोर।

(xv) सी. बी. आई. के अनुरोध पर, निदेशक, एल. पी. एस. सी. ने यह निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था कि क्या कोई दस्तावेज गायब पाए गए हैं। समिति ने यह कहने के लिए एक रिपोर्ट दी कि

केवल 254 दस्तावेज गायब पाए गए जो यादृच्छिक प्रकृति के थे और किसी विशेष प्रणाली या उप-प्रणाली से संबंधित नहीं थे।

प्रणाली। समिति ने यह भी नोट किया कि विकास इंजन को एस. ई. पी. चित्रों को संशोधित करने के बाद तैयार किए गए आंतरिक चित्रों के आधार पर जारी किया गया था और सभी आंतरिक चित्र उपलब्ध थे और कुछ कम संख्या में गायब दस्तावेजों का कोई प्रभाव होने की संभावना नहीं थी। इसी तरह, फैब्रिकेशन डिवीजन में सभी 16.800 शीट। जहाँ ससिकुमारन काम कर रहे थे।

(xvi) इस दौरान अभियुक्त व्यक्तियों से किसी भी भारतीय या विदेशी धन का कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद नहीं किया गया है। केरल पुलिस और बाद में सी. बी. आई. द्वारा तलाशी ली गई। बैंक खातों की जांच भी कुछ संकेत नहीं देती है।

इस संबंध में संदेह है।

(xvii) यह मानना उचित है कि अगर रशीदा इसरो के संबंध में किसी जासूसी गतिविधि में शामिल थी, तो उसे ऐसा करना चाहिए था

उसकी डायरी में इसका उल्लेख करें जो मामला नहीं है।

114. जाँच के दौरान, पहले की जाँच/पूछताछ करने वालों की ओर से कुछ खामियाँ पाई गईं। रिपोर्ट केरल सरकार/सरकार को सौंपी जा रही है। भारत का, इन पहलुओं पर अलग से। 115. इसलिए संक्षेप में, अभिलेख पर साक्ष्य, मौखिक के साथ-साथ वृत्तचित्र को देखते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जासूसी के आरोप साबित नहीं हुए हैं और झूठे पाए गए हैं। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए और आरोपी को

छुट्टी दे दी जाए और जब्त किए गए सामान को वापस करने की अनुमति दी जाए

संबंधित को दस्तावेज "। उपरोक्त रिपोर्ट से उत्पीड़न और मानसिक यातना का सामना करना पड़ा

ई अपीलार्थी स्पष्ट है।

30. सी. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को इस टिन के. चंद्रशेखर (उपरोक्त) द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। के निष्कर्ष से निपटना

पोर्ट, इस न्यायालय ने कहाः

" (iii) हालाँकि मामले की जाँच इसरो में जासूसी गतिविधियों पर केंद्रित थी, लेकिन इस संबंध में उसके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी और न ही इस संबंध में कोई शिकायत की गई थी। इसके विपरीत, सी. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट से हम पाते हैं कि कई वैज्ञानिक

इस संगठन की जांच की गई और उन अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों से सी. बी. आई. ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

" उपरोक्त कथनों का योग और सार यह है कि इसरो के पास चित्रों को वर्गीकृत करने की कोई प्रणाली नहीं है। दस्तावेज़। दूसरे शब्दों में , दस्तावेज़ों/चित्रों को शीर्ष गुप्त, गुप्त, गोपनीय या वर्गीकृत आदि के रूप में चिह्नित नहीं किया जाता है। इसके अलावा, वैज्ञानिकों को दस्तावेज़ जारी करने के संबंध में इसरो एक खुले दरवाजे की नीति का पालन करता है। चूँकि इसरो एक है

अनुसंधान उन्मुख संगठन, कोई भी वैज्ञानिक जो अध्ययन करना चाहता है

कोई भी दस्तावेज प्रलेखन प्रकोष्ठ/पुस्तकालय में जाने और दस्तावेजों का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र है। जहां तक विभिन्न प्रभागों को दस्तावेज़ जारी करने का संबंध है, प्रक्रिया यह थी कि केवल प्रतियां प्रलेखन निर्गम रजिस्टरों में विधिवत दर्ज करने के बाद विभिन्न प्रभागों को जारी की जाती थीं। जाँच के दौरान, यह पता चला है कि 16,800 शीट्स में चलने वाले विभिन्न चित्र फैब्रिकेशन डिवीजन को जारी किए गए थे जहाँ आरोपी शशि कुमारन काम कर रहे थे, और [2018] 12 एस. सी. आर. में उनके स्थानांतरण के बाद।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एसएपी, अहमदाबाद 7-11-1994 पर, चित्रों की सभी प्रतियां अक्षुण्ण पाई गईं। नंबी नारायणन एक वरिष्ठ वैज्ञानिक होने के नाते, हालांकि उनके पास चित्रों तक पहुंच थी, लेकिन किसी भी स्तर पर उन्हें कोई चित्र/दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे।

उसे। उन्होंने यह भी कहा है कि वैज्ञानिकों के लिए किसी भी बैठक/चर्चा के लिए आवश्यक दस्तावेजों/चित्रों को अध्ययन उद्देश्यों के लिए अपने घरों में ले जाना सामान्य बात थी। इनमें

परिस्थितियों में, यह आरोप कि नंबी नारायणन और शशि कुमारन ने दस्तावेज़ों को किसी तीसरे पक्ष को दिया होगा,

झूठा पाया जाता है। "

यह आगे प्रतीत होता है कि सी. बी. आई. के कहने पर, एक समिति

वरिष्ठ वैज्ञानिकों का गठन यह पता लगाने के लिए किया गया था कि क्या संगठन के कोई वर्गीकृत दस्तावेज चोरी हो गए थे या लापता पाए गए थे और उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसे कोई लापता दस्तावेज नहीं थे। इसलिए, उस संगठन में कथित जासूसी गतिविधियों के संबंध में आगे की जांच की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है, जिसके संबंध में केवल केरल पुलिस के पास जांच करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

31. जैसा कि पहले कहा गया है, राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया पूरा अभियोजन दुर्भावनापूर्ण था और इसने जबरदस्त उत्पीड़न और उत्पीड़न किया है।

प्रस्तुतिकरण केवल अस्वीकार किए जाने के लिए नोट किया जाना चाहिए। आपराधिक कानून बिना किसी आधार के लागू किया गया था। इसे शुरू किया गया था, अगर किसी को कहने की अनुमति दी जाए, तो किसी प्रकार की कल्पना या धारणा पर। अपीलार्थी की स्वतंत्रता और गरिमा जो उसके मानवाधिकारों के लिए बुनियादी हैं, खतरे में पड़ गई क्योंकि उसे हिरासत में ले लिया गया और अंततः, अतीत के सभी गौरव के बावजूद, वह सनकी घृणा का सामना करने के लिए मजबूर हो गया। यह स्थिति बुनियादी प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मुआवजे के अनुदान के लिए सार्वजनिक कानून के उपाय को आमंत्रित करती है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित अधिकार। ऐसी स्थिति में, नंबी नारायण बनाम।

अरबी गणित और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

तत्कालता के साथ जीवन के लिए एनजीएस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन आत्म-सम्मान का आदेश देता है।

ज्वलनशीलता।

32. कुछ तर्क दिया गया है कि नहीं किया गया है

अभिरक्षा यातना के संबंध में दोषारोपण। जब इस तरह का तर्क है

सी. ई. डी., यातना की अवधारणा को एक संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है।

डी. के. बसु बनाम में जो कहा गया है वह वास्तव में महत्वपूर्ण है। की स्थिति

" . उक्त मामले में न्यायालय ने ई के पहलू पर विचार करते हुए कहाः

" 10. " 'यातना' को संविधान या अन्य में परिभाषित नहीं किया गया है।

दंडात्मक कानून '। एक इंसान को दूसरे इंसान द्वारा प्रताड़ित किया जाना है

अनिवार्य रूप से 'मजबूत' की इच्छा को लागू करने का एक साधन

पीड़ा से 'कमजोर'। आज यातना शब्द बन गया है

मानव सभ्यता के काले पक्ष का पर्याय।

' यातना आत्मा में एक घाव है जो इतना दर्दनाक है कि कभी-कभी आप

बर्फ की तरह और पत्थर की तरह भारी, नींद की तरह लकवाग्रस्त और अंधेरा रसातल। यातना निराशा और भय और क्रोध और घृणा है। यह है।

खुद को भी मारने और नष्ट करने की इच्छा।

- एड्रियाना पी. बार्टो

11. किसी भी मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है

'यातना' के रूप में इतने सारे सम्मेलनों और घोषणाओं का विषय सभी का उद्देश्य सभी रूपों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है, लेकिन इसके बावजूद

यातना को समाप्त करने के लिए की गई प्रतिबद्धता, तथ्य यह है कि

यातना अब पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गई है। ' अभिरक्षा

यातना 'मानव गरिमा और अपमान का एक नग्न उल्लंघन है जो

बहुत हद तक व्यक्तिगत व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। यह एक

मानव गरिमा पर और जब भी मानव गरिमा पर हमला किया जाता है

घायल है, सभ्यता एक कदम पीछे ले जाती है-मानवता का झंडा

ऐसे प्रत्येक अवसर पर आधे-अधूरे विमान उड़ाने चाहिए।

12. सभी अभिरक्षा अपराधों में जो वास्तविक चिंता का विषय है वह केवल यही नहीं है

चाहे वह पुलिस हिरासत में शारीरिक हमला हो या बलात्कार, हद एक व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाने वाला आघात कानून के दायरे से बाहर है।

33. उपरोक्त से, यह काफी स्पष्ट है कि मानसिक पीड़ा पर जोर दिया गया है जब कोई व्यक्ति चार दीवारों के भीतर सीमित होता है।

पुलिस स्टेशन या तालाबंदी। शारीरिक पीड़ा न हो लेकिन निश्चित रूप से मानसिक पीड़ा होती है। जोगिंदर कुमार बनाम। यू. पी. राज्य और अन्य, न्यायालय ने फैसला सुनायाः

" 8. मानवाधिकारों का दायरा बढ़ रहा है। साथ ही,

अपराध की दर भी बढ़ रही है। हाल ही में, इस न्यायालय को मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें मिल रही हैं क्योंकि

अंधाधुंध गिरफ्तारी। हम दोनों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं?

उन दोनों को?

9. इस दिशा में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। गिरफ्तारी का कानून व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों को संतुलित करने का एक कानून है।

एक ओर व्यक्तिगत कर्तव्य, दायित्व और

दूसरी ओर जिम्मेदारियाँ; एकल व्यक्ति और उनके अधिकारों, स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों को तौलने और संतुलित करने की।

व्यक्तियों को सामूहिक रूप से; केवल यह तय करने के लिए कि क्या चाहिए और कहाँ वजन और जोर दिया जाए; यह तय करने के लिए कि कौन सा पहले आता है-अपराधी या समाज, कानून का उल्लंघन करने वाला या कानून।

आज्ञाकारी "।

34. किरण बेदी बनाम। जाँच समिति और एक अन्य, इस न्यायालय ने डी. एफ. मैरियन बनाम में निर्णय से एक अवलोकन को पुनः प्रस्तुत किया। डेविस ':

मानव समाज के लिए। एक अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा का एक तत्व है, और संविधान द्वारा अधिकार के साथ समान रूप से संरक्षित है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के आनंद के लिए।

35. किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा गरिमा के साथ जीने के उसके अधिकार का एक अविभाज्य पहलू है। एक अलग संदर्भ में, इसकी दो न्यायाधीशों की पीठ

विश्वनाथ अग्रवाल बनाम में न्यायालय। सरला विश्वनाथ अग्रवाल ने कहा हैः

" 55. ..... प्रतिष्ठा जो न केवल जीवन का नमक है, बल्कि सबसे शुद्ध खजाना और जीवन का सबसे कीमती इत्र भी है। यह है।

5 (1994) 4 एससीसी 260

6 (1989) 1 एससीसी 494

7217 आला। 16 (आला। 1927)

8 (2012) 7 एस. सी. सी. 288 एस. नंबी नारायण बनाम। अरबी गणित और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

कब्र के इस तरफ बेहद नाजुक और एक पोषित मूल्य है। यह वर्तमान के साथ-साथ भावी पीढ़ी के लिए भी राजस्व उत्पन्न करने वाला है।

36. उपरोक्त विश्लेषण से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 21 के तहत अपीलार्थी का मौलिक अधिकार

गंभीर रूप से प्रभावित। इस संदर्भ में, हम लाभ के साथ उल्लेख कर सकते हैं कि कैसे इस न्यायालय ने पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा की थी। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम। गुजरात राज्य और अन्य ने कहाः

" 39. पुलिस का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को पकड़ना, अपराधों की जांच करना और अदालतों के समक्ष उन पर मुकदमा चलाना और अपराध को रोकना और सबसे बढ़कर नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना है। कानून पुलिस को अपराधी के प्रति ईमानदारी से निष्पक्ष होने का आदेश देता है और मजिस्ट्रेट एक अपराधी के लिए निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है। मजिस्ट्रेट और पुलिस का उद्देश्य और उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे संविधान के 40 वर्षों के बाद भी ये उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं। अपभ्रंश

कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में पुलिस अधिकारियों और पुलिस की ज्यादतियों पर इस न्यायालय के साथ-साथ अन्य न्यायालयों से भी प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन यह इस पर कोई सुधारात्मक प्रभाव डालने में विफल रहा है। पुलिस के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है।

अदालत से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किए बिना भी। द.

इस शक्ति का विस्तार पुलिस पर एक दायित्व डालता है [और यह ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके संवैधानिक और मौलिक अधिकार आवश्यक हैं।

इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा "।

37. यदि प्राप्त करने वाले तथ्यात्मक मैट्रिक्स का निर्णय उपरोक्त सिद्धांतों और मापदंडों पर किया जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि

अपीलार्थी, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा रखने वाला एक सफल वैज्ञानिक, भारी अपमान से गुजरने के लिए मजबूर हुआ है। अभावपूर्ण रवैया

राज्य पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने और उसे पुलिस हिरासत में रखने के लिए अपीलार्थी को अपमान सहना पड़ा है। एक व्यक्ति की गरिमा तब स्तब्ध हो जाती है जब उसके साथ मनो-रोग संबंधी उपचार किया जाता है। एक मनुष्य न्याय के लिए रोता है जब उसे लगता है कि इस असंवेदनशील कार्य ने उसके आत्म-सम्मान को सूली पर चढ़ाया है। यह सार्वजनिक कानून उपचार के तहत मुआवजे का अनुदान देता है। हम पूरी तरह से सचेत हैं कि इसके लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया है। 9 (1991) 4 एससीसी 406 [2018] 12 एस. सी. आर.

क्षतिपूर्ति प्रदान करना। यह संवैधानिक अदालत को सार्वजनिक कानून का सहारा लेते हुए मुआवजा देने से नहीं रोकेगा। अदालत ऐसा नहीं कर सकती।

अपीलार्थी द्वारा सामना किए गए गलत कारावास, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, अपमान और मानहानि की दृष्टि खो दें। सुबे सिंह बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद राय दी है:

" 38. इस प्रकार अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि राज्य के खिलाफ मुआवजे का पुरस्कार अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के स्थापित उल्लंघन के निवारण के लिए एक उचित और प्रभावी उपाय है। 21 , एक लोक सेवक द्वारा। हालाँकि, मुआवजे की मात्रा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। इस तरह के मुआवजे का पुरस्कार (सार्वजनिक कानून उपचार के माध्यम से) नहीं मिलेगा।

सिविल अदालत में मुआवजा, यातना में निजी कानून उपचार के प्रवर्तन में, और न ही आपराधिक संहिता की धारा 357 के तहत मुआवजे का आदेश देने वाले आपराधिक अदालत के रास्ते में आता है। प्रक्रिया "।

38. इन में, हार्डीप सिंह बनाम. मध्य प्रदेश राज्य ", न्यायालय विलंबित मुकदमे और उसमें अपीलार्थी द्वारा सामना किए गए अपमान के मुद्दे पर विचार कर रहा था। उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अंतर-न्यायालय अपील में एक लाख रुपये का मुआवजा दिया था। 70,000 / - . इस न्यायालय ने मुआवजे की मात्रा पर विचार करते हुए अपीलार्थी को हुई पीड़ा और अपमान पर प्रकाश डाला और मुआवजे को बढ़ाया।

39. तत्काल मामले में, सी. बी. आई. की रिपोर्ट और के. चंद्रशेखर (उपरोक्त) मामले में इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए,

दूर। हम केरल राज्य को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश देना उचित समझते हैं। 50 अपीलार्थी को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये और तदनुसार, ऐसा आदेश दिया जाता है। उक्त राशि का भुगतान राज्य द्वारा आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा। हम यह स्पष्ट करने के लिए जल्दबाजी करते हैं कि अपीलार्थी, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो आगे बढ़ सकता है। दीवानी मुकदमे के साथ जिसमें उसने अधिक मुआवजे का दावा किया है। हमने मुकदमे के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

40. श्री गिरि, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील और अपीलार्थी जो कुछ अवसरों पर व्यक्तिगत रूप से भी पेश हुए हैं, ने प्रस्तुत किया है

10 ° (2006) 3 एससीसी 178

1 1 11 (2012) 1 एस. सी. सी. 748 एस. नंबी नारायण बनाम।

कि क्षतिपूर्ति का अनुदान वर्तमान प्रकृति के मामले में समाधान नहीं है। उनके द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि अपीलार्थी के दिमाग पर इस तरह का कष्टप्रद प्रभाव डालने के लिए जिम्मेदार अधिकारी

कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यह सुझाव दिया जाता है कि एक समिति

गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए गठन किया जाना चाहिए। हालाँकि इस सुझाव का कड़ा विरोध किया गया है, फिर भी हम वास्तव में उक्त विरोध से प्रभावित नहीं हैं। हम सोचते हैं कि प्राप्त करने वाला तथ्यात्मक परिदृश्य गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए एक समिति के गठन की मांग करता है। उक्त उद्देश्य के लिए, हम एक समिति का गठन करते हैं जिसकी अध्यक्षता इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. के. जैन करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक-एक अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया जाता है ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। समिति की बैठक दिल्ली में होगी और दिल्ली से कार्य करेगी। हालांकि, इसके पास उचित स्थान पर बैठकें आयोजित करने का विकल्प है केरल राज्य में। न्यायमूर्ति डी. के. जैन समिति के अध्यक्ष होंगे और केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह लागत वहन करे और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को प्रदान किए गए अनुलाभ प्रदान करे जब वह एक समिति का नेतृत्व करता है। समिति को केंद्र सरकार द्वारा सचिवीय कर्मचारियों सहित अपने व्यवसाय के संचालन के लिए सभी रसद सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

41. नतीजतन, अपीलों को ऊपर बताए गए हद तक अनुमति दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन